तारीख हुक्म	मु०नं० 477/23 T.I. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कंचन V/s पृथ्वी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30/11/25

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर हैं/अन्यत्र व्यस्त हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ रिकॉर्ड के [illegible] पेशकार
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/25 को पेश हो।

18/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस टी.आई. सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का भूमि पर कब्जा है तथा यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। इसलिए टी आई प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी भूमिहीन नहीं है। तथा प्रार्थीगण द्वारा भूमिहीन होने का गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटित करा ली गई है। भूमि पर बिना कब्जे 188 आर.टी.एक्ट. का दावा चलने योग्य नहीं है प्रार्थी को कब्जा प्राप्त करने के लिए 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी परन्तु प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा व टी.आई. पत्रावली प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य। बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2023 को भूमि ख.नं. 447/7, 445/7 ग्राम बाटरामल तहसील वजीरपुर में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा वापिस ली जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो एवं बाद तकमील मूल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested